

प्रेस नोट थाना कोतवाली रामपुर

जौहर विश्वविद्यालय जनपद रामपुर में नगर पालिका परिषद रामपुर से चोरी की गयी रोड क्लीनर मशीन को गड़डा खोदकर छिपाने वाले गैंग के विरुद्ध गैगस्टर एक्ट की कार्यवाही:-

माह सितम्बर 2022 में नगर पालिका परिषद रामपुर की रोड क्लीनर मशीन जिसे षडयंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से जौहर विश्व विद्यालय जनपद रामपुर के प्रांगण में गड़डा खोदकर दवाया गया था जिसे गैंग लीडर अनवार हुसैन व सदस्य सालिम की निशादेही पर पुलिस द्वारा जौहर विश्व विद्यालय जनपद रामपुर के प्रांगण से जमीन के अन्दर दबी हुई रोड क्लीनर मशीन को बरामद किया गया था इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली जनपद रामपुर पर मु0अ0सं0- 211/2022 धारा 409/411/201/120बी भादवि व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था जिसमें विवेचना से इस गैंग के लीडर 1. अनवार हुसैन पुत्र नबी अहमद निवासी फैजुल्लानगर थाना सिविल लाईन रामपुर व सदस्य 2. सालिम पुत्र महबूब निवासी शौकत अली रोड इलाही मस्जिद के सामने थाना सि0ला0 रामपुर 3. तालिब खां पुत्र जुबैर अली खां निवसी बेगम वाली बगिया तारामण्डल थाना गंज रामपुर 4. प्रदीप कुमार पुत्र ऋषिपाल सिंह नि0 ग्राम तुगलपुर थाना नाँलिज पार्क -3 जनपद गौतम बुद्ध नगर हाल नि0- सी-318 वन थाना वीटा -2 जनपद गौतम बुद्धनगर 5. अजहर खां पुत्र अजीज खां नि0 कटरा जलालूद्दीन थाना गंज रामपुर सदस्यों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र संख्या-194/22 किता कर मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

गैंग के लीडर अनवार हुसैन व इसके सदस्यों द्वारा एक सुनियोजित गैंग बनाकर योजनाबद्ध तरीके से एक संगठित गिरोह बनाकर यह घटना कारित कर सार्वजनिक सम्पत्ति को भारी क्षति पहुंचाई गई है तथा इस गैंग के लीडर व सदस्यों द्वारा इसके अलावा भी अवैध धन अर्जित करने के उद्देश्य से अवैध जुआ अड्डे का भी संचालय किया जा रहा था तथा उसमें लगातार जुआ खेल व खिलवाकर जनता के लोगो के साथ धोखा धडी कर धनोपार्जन इस गैंग द्वारा लगातार किया जा रहा था जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर पर मु0अ0सं0 365/2022 धारा -420 भादवि व 3/4 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी के चलते इस गैंग के गैंग लीडर 1. अनवार हुसैन पुत्र नबी अहमद निवासी फैजुल्लानगर थाना सिविल लाईन रामपुर व सदस्य 2. सालिम पुत्र महबूब निवासी शौकत अली रोड इलाही मस्जिद के सामने थाना सि0ला0 रामपुर 3. तालिब खां पुत्र जुबैर अली खां निवसी बेगम वाली बगिया तारामण्डल थाना गंज रामपुर 4. प्रदीप कुमार पुत्र ऋषिपाल सिंह नि0 ग्राम तुगलपुर थाना नाँलिज पार्क -3 जनपद गौतम बुद्ध नगर हाल नि0- सी-318 वन थाना वीटा -2 जनपद गौतम बुद्धनगर 5. अजहर खां पुत्र अजीज खां नि0 कटरा जलालूद्दीन थाना गंज रामपुर के विरुद्ध गैगस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली जनपद रामपुर पर आज दिनांक 22.02.23 को मु0अ0सं0- 26/23 धारा-3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 वादी प्रभारी निरीक्षक श्री गजेन्द्र त्यागी थाना कोतवाली जनपद रामपुर द्वारा पंजीकृत कराया गया है गैंग लीडर व सदस्यों की शीघ्र गिरफ्तारी की जायेगी ।

की गयी कार्यवाही:-

1. मु0अ0स0-26/23 धारा-3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं क्रिया कलाप निवारण निवारण अधिनियम 1986

नामित अभियुक्त गण:-

1. (गैंग का लीडर) अनवार हुसैन पुत्र नबी अहमद निवासी फैजुल्लानगर थाना सिविल लाईन रामपुर
2. (गैंग का सदस्य) सालिम पुत्र महबूब निवासी शौकत अली रोड इलाही मस्जिद के सामने थाना सि0ला0 रामपुर
3. (गैंग का सदस्य) तालिब खां पुत्र जुबैर अली खां निवसी बेगम वाली बगिया तारामण्डल थाना गंज रामपुर
4. (गैंग का सदस्य) प्रदीप कुमार पुत्र ऋषिपाल सिंह नि0 ग्राम तुगलपुर थाना नाँलिज पार्क -3 जनपद गौतम बुद्ध नगर हाल नि0- सी-318 वन थाना वीटा -2 जनपद गौतम बुद्धनगर
5. (गैंग का सदस्य) अजहर खां पुत्र अजीज खां नि0 कटरा जलालूद्दीन थाना गंज रामपुर

वादी मुकदमा:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री गजेन्द्र त्यागी
थाना कोतवाली जनपद रामपुर ।